

TIMES OF INDIA, NEW DELHI  
14/08/2013

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF CULTURE  
NATIONAL ARCHIVES OF INDIA  
JANPATH, NEW DELHI - 110 001

**SCHEME OF FINANCIAL ASSISTANCE FOR PRESERVATION AND CONSERVATION OF  
MANUSCRIPTS, RARE BOOKS, OLD AND RARE DOCUMENTS, RECORD OF HISTORY  
2013-2014**

Applications are invited for financial assistance from registered voluntary organisations, educational institutions including private colleges, private libraries and museums, universities including deemed universities and individuals for the following purposes:-

- Scientific preservation/conservation/repair/restoration, microfilming, listing, cataloguing, evaluation, translation, publication/reprint of historical documents, record of history, charts, maps etc. in their custody or also for purchase of manuscript/rare books.
- Preservation and Conservation of archival photographs and prints (including oleographs & lithographs).
- Purchase of items required for preservation and conservation of manuscripts/rare books i.e. air conditioners, vacuum cleaners, fumigation chambers and chemicals for treatment.
- Digitization of manuscript/rare books, old and rare documents, record of history, archival photographs & prints (including support for digitization job work as well as purchase of equipments viz. camera, scanner, computer, printer, copier).

The maximum limit of financial assistance under the Scheme is upto **Rs. 10 lakhs** in the ratio of 75:25 of the total cost of the project per year (i.e. Central Government's Share 75% and Grantee's matching share 25%).

Application(s) duly recommended by the State Level Screening Committee (SLSC)/State Archives in the prescribed proforma may be forwarded to Chairman, Grants Committee, Director General, National Archives of India, Janpath, New Delhi-110 001, within 60 days of the publication of this advertisement.

Complete details of the financial assistance of the scheme, alongwith the prescribed proforma of the application can be downloaded from National Archives of India website [www.nationalarchives.nic.in](http://www.nationalarchives.nic.in) or could also be obtained from the address given above, either by writing or in person.

**SCHEME OF FINANCIAL ASSISTANCE  
FOR PRESERVATION AND CONSERVATION OF  
MANUSCRIPTS, RARE BOOKS, OLD AND RARE DOCUMENTS, RECORD OF HISTORY  
APPLICATION FORM**

- Name and complete postal address of the Institution/Organization / Individual etc. Tel No., Fax No., E-mail ID and Unique ID No.
- Date of Establishment / Registration as a Society or Trust under Indian Societies Registration Act, 1860. Details of Board of Management alongwith a copy of the Registration Certificate.
- Unique ID No.\* (For Non-Governmental Organisation)
- Nature and number of manuscripts/rare books, old and rare documents, record of history, holdings and their titles, authors, inclusive years/period, subject, languages to which they belong in the custody of the voluntary organisation/individual.
- Audit accounts for the last three years alongwith copies of balance sheet (last year) and latest copy of Annual Report.
- A statement giving details of financial assistance received during the last five years from the Central/State Government or any other source. In case the applicant has previously received financial assistance under this scheme, copies of relevant utilization certificates may be enclosed.
- Details of the Project for which assistance is sought alongwith details of experts to be engaged.
- Estimated cost of the Project with item-wise details of financial assistance sought.
- Source from where 25% cost of the Project would be met.
- Financial assistance expected from any other source for the Project.
- Concerned State Level Screening Committee Recommendation to be attached with the application.

Place: \_\_\_\_\_ Signature: \_\_\_\_\_  
Date: \_\_\_\_\_ Name: \_\_\_\_\_  
Designation: \_\_\_\_\_  
Office Stamp: \_\_\_\_\_

\*NGOs should register themselves on [www.ngo.gov.in](http://www.ngo.gov.in) and get the unique ID No.

N.B.: Incomplete application or application received after the prescribed date will not be considered.

davp 09108/11/0005/1314

भारत सरकार  
संस्कृति मंत्रालय  
राष्ट्रीय अभिलेखागार, भारत सरकार  
जनपथ, नई दिल्ली-110001  
[www.nationalarchives.nic.in](http://www.nationalarchives.nic.in)  
[archives@nic.in](mailto:archives@nic.in)

**पांडुलिपियों, दुर्लभ पुस्तकों, पुराने एवं दुर्लभ दस्तावेज, ऐतिहासिक अभिलेख  
के परिरक्षण एवं संरक्षण के लिए वित्तीय सहायता  
2013-2014**

पंजीकृत स्वीच्छक संगठनों, शैक्षिक संस्थाओं जिनमें निजी महाविद्यालय, निजी पुस्तकालय और संग्रहालय, विश्वविद्यालय और व्यक्तियों से निम्नलिखित उद्देश्यों :-

- उनके पास उपलब्ध ऐतिहासिक दस्तावेजों, ऐतिहासिक अभिलेख चार्टों व मानचित्रों के वैज्ञानिक परिरक्षण/संरक्षण/मरम्मत/रेस्टोरेशन, माइक्रोफिलिमिंग, सूचीकरण, कैटेलागिंग, मूल्यांकन, अनुवाद, प्रकाशन/पुनर्मुद्रण तथा दुर्लभ पुस्तकें खरीदने के लिए
- अभिलेख छायाचित्रों तथा मुद्रणों (ऑनियोग्राफ तथा लिथोग्राफ सहित) के परिरक्षण एवं संरक्षण के लिए
- पांडुलिपियों/दुर्लभ पुस्तकों के परिरक्षण एवं संरक्षण के लिए अपेक्षित नदों जैसे वातानुकूलन, वैक्यूम क्लीनर्स, फ्यूमीगेशन चेंबरस एवं उपचार हेतु रसायन खरीद के लिए
- पांडुलिपियों, दुर्लभ पुस्तकों, पुराने एवं दुर्लभ दस्तावेज, ऐतिहासिक अभिलेख का डिजिटलइजेशन, अभिलेखीय छायाचित्रों तथा मुद्रण (डिजिटलइजेशन जॉब वर्क के साथ-साथ उपकरणों अर्थात् कैमरा, स्कैनर, कंप्यूटर, प्रिंटर कॉपीयर की खरीद हेतु समर्थन सहित) के लिए भी वित्तीय सहायताएं आवेदन पत्र अर्मात्रित किए जाते हैं।

योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये है जो प्रति वर्ष परियोजना की कुल लागत के 75:25 के अनुपात में होगी (अर्थात् केन्द्रीय सरकार का 75% शेयर और अनुदानग्राही की 25% मैचिंग शेयर)

निर्धारित प्रपत्र में राज्य स्तरीय संवीक्षा (स्कीमिंग) समिति/राज्य अभिलेखागार द्वारा विधिवत सिफारिश किए गए आवेदन (नौ) को अध्यक्ष अनुदान समिति एवं महानिदेशक, राष्ट्रीय अभिलेखागार, जनपथ, नई दिल्ली-1100001 को इस विज्ञापन के प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर अवश्य भेज दिए जाएं।

योजना की वित्तीय सहायता का पूरा विवरण और आवेदन का निर्धारित प्रपत्र राष्ट्रीय अभिलेखागार की वेबसाइट [www.nationalarchives.nic.in](http://www.nationalarchives.nic.in) से डाउनलोड किया जा सकता है या उपर्युक्त पते पर लिखक या स्वयं प्राप्त कर सकते हैं।

**पांडुलिपियों, दुर्लभ पुस्तकों, पुराने एवं दुर्लभ दस्तावेज, ऐतिहासिक अभिलेख के परिरक्षण  
एवं संरक्षण के लिए वित्तीय सहायता हेतु आवेदन पत्र**

- संस्थान/संगठन/व्यक्ति इत्यादि का नाम तथा पूरा पता दूरभाष/फैक्स नं., ईमेल आईडी तथा सिविष्ट आई.डी. नं.
- इंडियन सोसाइटी पंजीकरण एक्ट 1860 के तहत सोसायटी अथवा ट्रस्ट की स्थापना/पंजीकरण की तिथि पंजीकरण प्रमाण-पत्र सहित प्रबंधन बोर्ड का विवरण
- सिविष्ट आई.डी.नं. (गैर सरकारी संगठनों के लिए)
- स्वीच्छक संगठनों, व्यक्तियों के पास उनकी अभिरक्षा में रखी पांडुलिपियों, दुर्लभ पुस्तकों, पुराने एवं दुर्लभ दस्तावेज, ऐतिहासिक अभिलेख संपत्तियों की एवं प्रकृति संस्था, जिस पर विशेष रूप से वर्ष/अवधि, विषय भाषा सहित शीर्षक और लेखक का नाम
- पिछले तीन वर्षों का प्राप्ति एवं व्यय का विवरण एवं पिछले साल की बैलेंस शीट तथा अद्यतन वार्षिक रिपोर्ट
- पिछले तीन वर्षों के केन्द्रीय/राज्य सरकार या किसी अन्य स्त्रोत से प्राप्त वित्तीय सहायता के ब्यौरे को दर्शावे वाला विवरण यदि आवेदन को इस योजना के अंतर्गत पहले वित्तीय सहायता मिल चुकी है तो संबंधित उपयोगिता प्रमाण-पत्र संलग्न करें।
- परियोजना का ब्यौरा जिसके लिए सहायता अपेक्षित है तथा विशेषज्ञों का विवरण ब्यौरा यदि कोई नियुक्त करना हो तो
- परियोजना का अनुमानित खर्च, वित्तीय सहायता के लिए मदवार ब्यौरे सहित
- यह स्त्रोत जहां से परियोजना के 25 प्रतिशत खर्च को प्राप्त किया जाएगा।
- परियोजना के लिए यदि किसी अन्य स्त्रोत से वित्तीय सहायता अपेक्षित है।
- राज्य स्तर स्कीमिंग कमेटी की संस्तुति आवेदन के साथ संलग्न की जाए।

स्थान :  
दिनांक :

हस्ताक्षर.....  
नाम :.....  
पदनाम :.....  
कार्यालय मुहर :.....  
ईमेल :.....

गैर सरकारी संगठन स्वयं को [www.ngo.gov.in](http://www.ngo.gov.in) पर पंजीकृत करें और सिविष्ट आई.डी. प्राप्त करें।  
टिप्पणी : अपूर्ण या निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

डीएवीसी-09108/11/0005/1314